उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H08443/C-2/NGT-07/2024

दिनाँक
Date 19-03-2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of Action Taken Report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 12.01.2024 in Original Application No. 176/2022 Aman Chaudhary Vs Union of India and Others.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 12.01.2024 in Original Application No. 176/2022 Aman Chaudhary Vs Union of India and Others., the action taken report received from Regional Office, UPPCB, Kanpur Nagar is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajendra Singh)
Chief Environmental Officer
Circle-2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में आख्या दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के मुख्यअंश हैः–

..............."3. The CPCB is directed to obtain the information regarding adoption and implementation of the classification and compile the information and file additional report within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Request for adjournment has been made on behalf of Mr. Mukesh Verma, Learned Counsel for Respondent no. 6–Director of Geology and Mining on the ground of personal difficulty which request is allowed.

5. Report by way of his affidavit be filed by the Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh mentioning all requisite details regarding present status of Action Taken against respondent no. 2 for illegal mining, violation of environmental norms, and recovery of environmental compensation. Affidavit as mentioned above be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 21.03.2024.

7. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the officers duly authorized by Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and Member Secretary, UPPCB physically or through VC on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.

8. A copy of this order be sent to the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh and Member Secretary, UPPCB by email for requisite compliance.".......

➢ कार्यालय अभिलेखानुसार यहाँ सूच्य है कि प्रश्नगत ओ0ए0 176/2022 प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 में राज्य बोर्ड द्वारा दाखिल की गयी अनुपालन आख्या को निम्नाकिंत तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, जो कि क्रमशः हैः–

..........." Action Taken Against Respondent No. 2

1. That in compliance to the directions passed by the Hon'ble NGT, it is submitted that UPPCB has imposed Environmental Compensation amounting Rs. 4,29,37,500/- vide letter dated 02.09.2022 for carrying out the mining activities for 1145 days without obtaining Consent to Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

2. That the aforesaid levy of Environmental Compensation was opposed by the Project Proponent by filing Writ Petition No. 6812 of 2022 before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow and Hon'ble High Court vide order dated 30.09.2022 set aside the order of imposition of Environmental Compensation due to not affording opportunity of hearing to the Project Proponent prior to imposition of Environmental Compensation.

3. That thereafter, in compliance to the order passed by the Hon'ble High Court, UPPCB has issued show cause notice dated 02.12.2022 thereby calling upon the Project Proponent for imposition of compensation of Rs. 4,29,37,500/- due to mining without obtaining Consent to Operate from the answering Respondent and Show cause notice was received by the Project Proponent on 21.12.2022.

4. That in response to the aforesaid show cause notice UPPCB has received a reply dated 03.01.2023 from Project Proponent. After reviewing the reply and recommendation of Regional Officer, Kanpur Nagar, Environmental Compensation of Rs. 4,29,37,500/- has been imposed against the unit on 30.01.2023.

5. That it is submitted that SEIAA, U.P. vide letter no. 174/Parya/SEAC/4026/2017 dated 12.08.2018 has issued Environmental Clearance to M/s Vaishnavi Enterprises Proprietor Shri Nagendra Singh R/o 113 MIG-2, Mahabalipuram, Kalyanpur, Kanpur Nagar for ordinary sand mining of 2,10,000 Cubic meter/year at Gata No. 2Mi, VillageKatari, Sunaudha, Tehsil-Bilhaur, Kanpur Nagar in 10.5 hectare Lease Area, for the period of 5 years. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Nagar vide his letter dated 22.09.2023 has informed that as per the letter dated 11.04.2023 sent by District Mining Officer, Kanpur Nagar, the mining activity has been restricted on 20.12.2022 and at present no mining activity is being done at Gata No. 2Mi, Village-Katari, Sunaudha, Tehsil-Bilhaur, Kanpur Nagar..................................."

अग्रेतर उक्त उल्लघंनकारी खनन पट्टा मैसर्स वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के सम्बन्ध में अद्यतन यथास्थिति का विवरण क्रमशः है:–

- बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच87882 / सी–2 / एनजीटी ओ0ए0–176 / 2022, दिनांक 30.01.2023 **(संलग्नक–1)** द्वारा मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरूद्ध धनराशि रू0 4,29,37,500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी।

- बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच87882 / सी–2 / एनजीटी ओ0ए0–176 / 2022, दिनांक 30.01.2023 के माध्यम से उल्लंघनकारी खनन पट्टा मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को **भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सबन्ध में** जिलाधिकारी, कानपुर नगर को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 889 / सा–218 / 23, दिनांक 13.10.2023 **(संलग्नक–2)** द्वारा **रिकवरी सर्टिफिकेट** प्रेषित किया गया था।

- क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्रांक 1482 / सा–237 / 24, दिनांक 07.03.2024 **(संलग्नक–3)** द्वारा **पुनः** उक्त उल्लंघनकारी खनन पट्टा के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत महोदय से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में आख्या दाखिल किये जाने हेतु आख्या सादर प्रस्तुत है।

12·03·24

(फरेश कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी / मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय

12/03/2024

संलग्नक - 1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H 87882/C-2/NGT OA-176/2022

दिनॉक
Date 30-1-2023

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर,
कानपुर नगर।

विषय– ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.5 हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.5 हे0 में साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर को State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh के पत्रांक 174/Parya/SEAC/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिये 2,10,000 घनमीटर/वर्ष बालू खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गयी है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर के पत्रांक 225/तीस–उपखनिज/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा खनन हेतु, अवधि दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक के लिये स्वीकृत प्रदान की गयी थी। जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 443/तीस–उपखनिज/2021, दिनांक 03.02.2021 द्वारा उक्त खनन कार्य को प्रतिबन्धित कर दिया गया था, जिसे पुनः पत्राक 1067/तीस–उपखनिज/2021, दिंनाक 13.12.2021 द्वारा साधारण बालू खनन/परिवहन करने की अनुमति को पुनर्स्थापित (Restore) किया गया।

उक्त बालू खनन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था। कार्यालय अभिलेखो के अनुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु बोर्ड से संचलनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त नहीं की गयी है, जोकि जल/वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लघंन है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेष दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.04.2022 की आख्या एवं अभिलेखों के अनुसार परियोजना स्वामी द्वारा बालू खनन का कार्य दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 03.02.2021 तक कुल 1034 दिवस तथा दिनांक 13.12.2021 से 02.04.2022 तक 111 दिवस अर्थात कुल 1145 दिवसों में पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया गया। उक्त के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 85021/सी–2/एनजीटी ओ0ए0 नं0–176/22 दिनांक 02.12.2022 द्वारा वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरूद्ध कुल 1145 दिवस हेतु धनराशि रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर खनन इकाई द्वारा दिनांक 03.01.2023 को बोर्ड में प्रस्तुंत किया गया, जिसमें खनन की अवधि 816 दिवस सूचित की गयी है परन्तु उक्त के सत्यापन हेतु कोई प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बालू खनन की अवधि 1145 दिवस की गणना खनन विभाग द्वारा जारी की गयी अनुज्ञा प्रपत्र में निहित अवधि के अनुसार किया गया है। अतः इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में निहित तथ्य बलहीन हैं।

इस सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 27.01.2023 द्वारा खनन इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 02.12.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गयी है।

.......2/-

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 27.01.2023 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त **मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी .113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर पर रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 30 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

संलग्नक - 2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ 889/प्रप -218/23 दिनांकः 13-10-23

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कानपुर नगर।

विषयः–बालू खनन परियोजना मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर नगर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्वन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुक्रम में बालू खनन परियोजना मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर नगर पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच87882/सी–2/एनजीटी ओ0ए0–176/2022, दिनांक 30.01.2023 के माध्यम से बालू खनन परियोजना द्वारा बालू खनन कार्य हेतु पर्यावरण निदेशालय द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो का अनुपालन न किये जाने की क्षतिपूर्ति हेतु रू0 4,29,37,500/– (चार करोड़ उन्नतीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित की गयी है। बालू खनन परियोजना द्वारा उपरोक्त वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बोर्ड में जमा नहीं की गयी है।

अतः सन्दर्भित बालू खनन परियोजना पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल धनराशि रू0 4,29,37,500/– (चार करोड़ उन्नतीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की वसूली भू–राजस्व की भॉति किये जाने हेतु वसूली का प्रारूप (03 प्रतियों में) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज–3, कल्यानपुर, कानपुर नगर– 208 017
ई–मेल : rokanpur@uppcb.in, फोन : 0512– 2510999

RO_AmitMishrasir_sudhir

REGIONAL OFFICE,
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
5243, SADBHAWANA NAGAR, AWAS VIKAS PHASE-3, KALYANPUR,
KANPUR NAGAR-208017

To,

The Collector,
Kanpur Nagar,
Kanpur.

Sub:- **O.A. no. 176/2022 Aman Chaudhary Union of India and order dated 07.03.2022 Hon'ble NGT for collection of Environmental Compensation the Sand Mining Project which was carrying out and mining work without obtaining necessary CTO permission from the State Board, to pay Environmental compensation.**

CERTIFICATE OF RECOVERY

UNDER THE U.P. PUBLIC MONEY RECOVERY OF DUES (AMENDMENT) ACT, 1972

Sir,

The sum of Rs **4,29,37,500.00 (Rupees Four Crore Twenty Nine Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only)** is payable on account of Environmental Compensation for operation the unit violating issued directions of the Board by **M/s Vaishnavi Enterprises, Proprietor Mr. Nagendra Singh, R/o 113, M.I.G.-2, Mahabalipuram, Kalyanpur, Kanpur Nagar-208017.**

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board account No. 701502010002104 IFSC Code – UBIN0570150 Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow credit to his bill amount. The cost of the proceedings if any be recovered in addition.

1. Name of the Industry - **M/s Vaishnavi Enterprises**
2. Address of the Industry - Gata No. 2mi Rakwa 10.5 Hq. Vill-Katri Sunada, Tehsil- Bilhaur, Distt-Kanpur Nagar
3. Name of the Proprietor/Representative – **Proprietor Mr. Nagendra Singh, R/o 113, M.I.G.-2, Mahabalipuram, Kalyanpur, Kanpur Nagar-208017**
4. Total Amount to be recovered Rs. **4,29,37,500.00**
5. Cost of the proceedings Rs. 42,93,750.00
6. Total Amount (4+5) **Rs. 4,72,31,250.00 (In Words) Rupees Four Crore Seventy Two Lakh Thirty One Thousand Two Hundred Fifty Only/**

The Amount recovered from industry will be credit to the board Account No. 701502010002104 IFSC Code – UBIN0570150 Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.

Your faithfully.

(Er. Amit Mishra)
Regional Officer

CC:- for kind information please.

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, T.C- 12 V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010.
2- Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, T.C- 12 V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010.

Regional Officer

संलग्नक-3

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE :UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 1402/सा-237/24

दिनांक:- 7-3-24

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

विषयः-बालू खनन परियोजना मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 889/सा-218/23, दिनांक 13.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच87882/सी-2/एनजीटी ओ0ए0-176/2022, दिनांक 30.01.2023 के माध्यम से उल्लंघनकारी खनन पट्टा मै0 वैष्णवी इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113, एम0आई0जी0-2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सबन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके अनुपालन की सूचना राज्य बोर्ड में अप्राप्त है। उल्लघनकारी खनन पट्टा का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	खनन पट्टे का नाम व पता	प्रेषित पत्र का विवरण		अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि (रू0)
		पत्रांक	दिनांक	
1	Shri Nagebdra Singh, R/o - MIG-02 Mahabalipuram, Kanpur Nagar, U.P., M/s Vaishnavi Enterpries, River Ordinary Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-2Mi, Area 26.00 Acre (10.50 Ha) , Village- Katari Sunaudha, Tehsil- Bihaur, Distt.- Kanpur Nagar, U.P.,M/s Vaishnavi Enterpries, (Leased Area-10.50 Ha)	H87882/C-2/NGT-O.A.-176/2022,	30.01.2023	4,29,37,500/-

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लंघनकारी खनन पट्टा इकाई के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराना चाहें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208017
ई-मेलः- rokanpur@uppcb.in फोन : 2510999

Jajmau_Letter Head_Himanshu